रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 735] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 1992/अग्रहायण 2, 1914
No. 735] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 1992/AGRAHAYANA 2, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1992

का.आ. 851(अ):—यतः बोडो सुरक्षा बल (जिसे इसके बाद बो.सु.ब. कहा जाएगा) का घोषित उद्देश्य बोडो भूमि को "मुक्त कराना" है जिसका तात्पर्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र पृथकतावादी संगठनों के साथ मिलकर उक्त क्षेत्रों को भारत संघ से अलग करना है।

और यतः बो.सु.ब. लोगों के बीच असुरक्षा की गहरी भावना पैदा करने और बैंक डकैती, लूटपाट, हत्याएं, धन ऐंठने, अपहरण, लोगों का उत्पीड़न करने और आग्नेयास्त्रों को छीनने जैसी विभिन्न प्रवंच एवं हिंसक गतिविधियां करने, जिनका उद्देश्य भारत संघ की

संप्रभुता एवं अखंडता को नुकसान पहुंचाना है अथवा जिनसे ऐसा नुकसान पहुंचता है, में संलिप्त रहा है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर, यह मत है कि बो.सु.ब. एक गैर-कानूनी संगठन है ;

अब विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा बोडो सुरक्षा बल (बो. सु.ब.) को एक गैर-कानूनी संगठन के रूप में घोषित करती है ,

केन्द्रीय सरकार का आगे यह मत है कि परिस्थितियों को देखते हुए, अर्थात् बो. सु.ब. द्वारा हाल ही में पुलिस, अन्य सशस्त्र बलों और नागरिकों के विरुद्ध की गई निरंतर और हमेशा बढ़ती हुई हिंसा से निपटने के लिए, यह अनिवार्य है कि बो.सु.ब. को तत्काल प्रभावी रूप से गैर-कानूनी संघ घोषित किया जाए, और तदनुसार, उक्त धारा की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह निर्देश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत किए जाने वाले किसी आदेश की शर्त के अध्यधीन इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा.सं.-11011/49/92-एन. ई.-4]

बी.पी. सिंह, संयुक्त सचिव (एन.ई.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 1992

S.O. 851(E).—Whereas the Bodo Security Force (hereinafter referred to as Bd.S.F.) has as its professed aim, the "Liberation' of Bodoland resulting in bringing about the secession of the said areas from the Indian Union, in alliance with other armed secessionist organisations of the North East Region.

And whereas the Bd. S.F. has been indulging in various illegal and violent activities intended to disrupt or which disrupt the sovereignty and integrity of India such as by creating a deep sense of insecurity among the people and by committing other acts, like bank dacoities, robberies, murders, extortions, kidnappings, harassment of the people and snatching of fire arms;

And whereas the Central Government is of the opinion, on the material before it, that Bd. S.F. is an unlawful association ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Bodo Security Force (Bd. S.F.) to be an unlawful association;

The Central Government is further of opinion that having regard to the circumstances, namely, to meet the sustained and ever increasing violence committed by the Bd. S.F. in the recent past against the police, the other armed forces and the civilians, it is necessary to declare the Bd. S.F. to be an unlawful association with immediate effect and accordingly in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section, the Central Government directs that the notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the official gazette.

[F No. 11011/49/92-NE-IV]
B. P. SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992